कार्यालय–जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद।

–:नियुक्ति विज्ञापन:–

प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं0–1016 दिनांक–01.03.2017 द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु स्वीकृत पदों पर नियुक्ति किया जाना है। धनबाद जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत गठित पी0एम0यू0 के तहत स्वीकृत पदों के विरूद्ध प्रखण्ड समन्वयक एवं लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रखण्ड एवं जिला स्तर के) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ईच्छुक नागरिको/अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित की जाती है।

पदवार , कोटिवार रिक्तियों एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार है:–

1. **जिला स्तर**

क्रमांक	पद का नाम	रिक्त कोटि	संख्या	मासिक मानदेय राशि (रूपये में)
1.	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	अनारक्षित	01	15,000/–

2. **प्रखण्ड स्तर**

क्रमांक	पद का नाम	रिक्त कोटि	संख्या	मासिक मानदेय राशि (रूपये में)
1.	प्रखण्ड समन्वयक	अनु0 जाति –01	01	18,000/–
2.	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	अनारक्षित–02, अनु0जाति–01, अनु0जन जाति–01, पिछडा वर्ग–01	05	10,000/–

नोट:– रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण कोटिवार वर्गीकरण में में परिवर्तन/घट–बढ हो सकता है।

1. आरक्षण का लाभ झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को ही देय होगा। जाति प्रमाण पत्र एवं स्थीनय प्रमाण पत्र झारखण्ड सरकार द्वारा पारित अद्यतन परिपत्र में निर्गत ही मान्य होगा।
2. कार्मिक,प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग,झारखण्ड,रॉची द्वारा समय–समय पर निर्गत आरक्षण,स्थानीयता एवं अन्य निदेश लागू होगें।

3. **शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र सीमा :**

जिला स्तर पर निर्धारित पदो के लिए :–

क्रमांक	पद का नाम	उम्र सीमा	शैक्षणिक योग्यता
1.	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	18–30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ एक वर्ष का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

प्रखण्ड स्तर पर निर्धारित पदों के लिए :–

क्रमांक	पद का नाम	उम्र सीमा	शैक्षणिक योग्यता
1.	प्रखण्ड समन्वयक	22–45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/ सोशल वर्क में स्नात्तक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्याअनुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। नोट:– रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/ सोशल वर्क में स्नात्तक उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जायेगी।

2.	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	18–30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ एक वर्ष का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।
उम्र सीमा* :– न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 01.01.2021 के आधार पर की जाएगी।			

4. **मेधा सूची :–**
   1. सभी पदों के लिये खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी। एक पद के विरूद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जायेगा। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य/वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (जहाँ आवश्यक हो) के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियो की प्रारंभिक मेघा सूची चयन का अंतिम आधार नही माना जायेगा। तत्पश्चात प्रारंभिक मेघा सूची में अभ्यर्थियो के संख्या के अनुसार प्रत्येक कोटिवार रिक्त पदो के दस (10) गुणा अभ्यर्थियो का चयन दक्षता परीक्षा /विषय ज्ञान/कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा (लिखित/बहुवैकल्पिक प्रश्न/टंकक ज्ञान) हेतु किया जायेगा।
   2. सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरूद्ध दस गुणा अभ्यर्थियों को दक्षता जाँच हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
   3. दक्षता जाँच में कम्प्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा।

5. **मुल्याकन/चयन प्रक्रिया–**
   1. आवेदक का मूल्यांकन 100 अंको पर किया जायेगा। जो निम्न खण्डो में विभाजित होगा:–

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित अनुभव	दक्षता परीक्षा		कुल योग
		विषय ज्ञान	कम्प्यूटर ज्ञान	
50	20	10	20	100

   प्रखण्ड सतर पर प्रखण्ड समन्वयक के पद के लिए उम्मीदवारों में रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीण को प्राथमिकता दी जाएगी।
   2. कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 मे से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।
   3. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंको में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारो को न्यूनतम 50 अंक,अन0जाति/अनु0जनजाति को न्यूनतम 40 अंक तथा पिछडा वर्ग/अ0पि0वर्ग को न्यनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जायेंगे।
   4. कम्प्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा ले सकती है।

6. **आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :**
   1. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को संबंधित जिला के लिए ऑनलाईन आवेदन http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर दिनांक 13.10.2021 से .22.10.2021. तक समर्पित कर सकेंगे।
   2. आवेदक एक से अधिक पदों के लिए योग्यतानुसार आवेदन समर्पित कर सकते है। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग ऑनलाईन आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।

7. **संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवाशर्त निम्नवत् होगी :–**
   1. प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जाएगी। प्रत्येक वर्ष उनके कार्यों का समिति के द्वारा मुल्यांकन किया जाएगा एवं मुल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकता है। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः

समाप्त समझी जाएगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी।

2. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेंगे जो उन्हें अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे, परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
3. उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. संविदा अवधि के नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।
5. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में विभागीय निदेश के आलोक में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जाएगी।
6. आवेदक का देय एकमुश्त वेतन के अन्तर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इन्टरनेट की सुविध सम्मिलित होगी।
7. आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अन्दर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अन्तर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।
8. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक अवकाश ही संविदा कर्मियों को देय होगा।
9. नियुक्त कर्मियों को जिला द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
10. यह नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी। भविष्य में स्थायी सेवा का दावा मान्य नहीं होगा।
11. उक्त नियुक्ति विज्ञापन एवं नियुक्ति प्रक्रिया में यथा संशोधन या निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

(signature) 11/11/21

(संदीप सिंह)
उपायुक्त,
धनबाद।

ज्ञापांकः– 1429 दिनांकः– 12/10/2021

प्रतिलिपिः– अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था–सह–वैब मैनेजनर, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन को जिला के वेबसाईट dhanbad.nic.in पर शीघ्रताशीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– जिला सुचना विज्ञापन पदाधिकारी, धनबाद को निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन को जिला के वेबसाईट dhanbad.nic.in पर शीघ्रताशीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः–सरकार के अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि विभागीय पोर्टल को अभ्यार्थियों से ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने हेतु Link उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(signature) 11/11/21

(संदीप सिंह)
उपायुक्त,
धनबाद।